

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 31/2018 (प्रा0पत्र-रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

ग्राम पंचायत बपावर कलां, तहसील सांगोद जिला कोटा

(अप्रार्थी)

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
धारा 82 के तहत रेफरेन्स कार्यवाही


निर्णय दिनांक : 12.07.2019

1. प्रार्थी राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद की ओर से अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह प्रार्थना इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 813 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 812/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै0 मु0 तलाई जमाबन्दी सम्वत् 2015-2024 में दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकषिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो, ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत आवंटन/खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियां सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है, किन्तु उक्त प्रावधान के होते हुए भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त साबिक 813 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 812/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि गै0मु0 खेल मैदान जयें ग्राम पंचायत बपावरकलां अप्रार्थी को आवंटन किया गया। जो अवैधानिक होने से खारिज होने योग्य है। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी आवटी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या - दिनांक - से दर्ज गेरखातेदारी एंव तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या - से प्रदत्त खातेदारी अनियमित होने से खारिज होने योग्य है। मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध सम्वत् 2058 से 77 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 813 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 812/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के हाल (नवीन) खसरा नम्बर 1181 रकबा 0.76 हैक्टयर बनाये गये तथा मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2058 से 2077 उक्त आवंटी गै0मु0खैल मैदान जयें ग्राम पंचायत बपावरकलां खातेदार खसरा नम्बर 671 रकबा 1.05 हैक्टयर किस्म गै0मु0 खैल मैदान दर्ज रेकार्ड है जो अनियमित होने से खारिज होने योग्य है।
2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जयें नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से बाद तामील नोटिस कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5. पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते हैं कि ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 813 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 812/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म गै0 मु0 तलाई जमाबन्दी सम्वत् 2015-2024 में दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकषिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो, ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(1) के तहत आवंटन/खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियां सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है, किन्तु उक्त प्रावधान के होते हुए भी आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त साबिक खसरा नम्बर 813 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एंव खसरा नम्बर 812/1 रकबा

1- बीघा 18 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी को आवंटन किया गया। जो अवैधानिक होने से खारिज होने योग्य है। उक्त आवंटित भूमि का अप्रार्थी आवटी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या - दिनांक - से दर्ज गेरखातेदारी एवं तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या - से प्रदत्त खातेदारी अनियमित होने से खारिज होने योग्य है। मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबन्ध सम्वत् 2058 से 77 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 813 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 812/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के हाल (नवीन) खसरा नम्बर 1181 रकबा 0.76 हैक्टेयर बनाये गये तथा तथा मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2058 से 2077 उक्त आवंटी गै0मु0खैल मैदान जर्गे ग्राम पंचायत बपावरकलां खातेदार खसरा नम्बर 671 रकबा 1.05 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खैल मैदान दर्ज रेकार्ड है जो अनियमित होने से खारिज होने योग्य है।

6. अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में विधि विपरीत रूप से किया गया आवंटन खारिज कर वाके ग्राम बपावरकलां तहसील सांगोद की उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 1181 रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 खैल मैदान के स्थान पर पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज कर पुनः राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने हेतु तहसीलदार सांगोद द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रकरण श्री मान निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।


(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

